सत्यमेव जयते
Rajasthan RERA

राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

द्वितीय एवं तृतीय तल, आरएसआईसी विंग, उधोग भवन,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन नं. – 0141–2851900 वेबसाईट http://rera.rajasthan.gov.in

कमांक एफ.4(1)आरजे / रेरा / 2017 / पार्ट / 5900 दिनांक 10.08.2020

आदेश

दी रीयल एस्टेट (रेग्युलेषन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 37 एवं दी राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी रेग्युलेशनस्, 2017 के अनुच्छेद 23(3) के अन्तर्गत ऑथोरिटी को प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. दिनांक 01.09.2020 से, नए प्लोटेड डवलपमेंट प्रोजेक्टस् (New Plotted Development Projects) के पंजीकरण पर, पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) के अतिरिक्त, भूखण्ड के क्षेत्रफल पर रू. 5/– प्रति वर्गमीटर की दर से स्टैण्डर्ड फीस (Standard Fee) देय होगी।

2. दिनांक 16.08.2019 को जारी किए गए आदेश क्रमांक 3080 के पैरा सं. 2 की निरन्तरता में, यह निर्धारित किया जाता है कि पंजीकरण हेतु विलम्ब से आवेदित ऑन–गोईंग प्रोजेक्टस् (delayed application for registration of ongoing project) के मामलों में, दिनांक 31.12.2019 के पश्चात् भी, दिनांक 31.03.2021 तक प्राप्त होने वाले पंजीकरण आवेदनों पर, पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त, पूर्वानुसार पंजीकरण शुल्क की चार गुणा राशि बतौर शास्ति (Penalty) और पंजीकरण शुल्क की दो गुणा राशि बतौर स्टैण्डर्ड फीस देय होगी।

3. दिनांक 16.08.2019 को जारी किए गए आदेश क्रमांक 3080 के पैरा सं. 3 के संशोधन में, यह निर्धारित किया जाता है कि प्रोजेक्ट के पंजीकरण की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व प्राप्त एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन (Extension of Registration) के आवेदनो पर बतौर एक्सटेंशन शुल्क (Extension Fee) देय पंजीकरण शुल्क की 50% राशि के अतिरिक्त, दिनांक 01.09.2020 से, पंजीकरण शुल्क के बराबर राशि बतौर स्टैण्डर्ड फीस देय होगी। यह स्टैण्डर्ड फीस उन मामलों में भी देय होगी, जहाँ एक्सटेंशन शुल्क माफ किया गया हो।

4. दिनांक 12.04.2018 को जारी किए गए आदेश क्रमांक 1197 के आइटम नं0 4 के संशोधन में, यह निर्धारित किया जाता है कि प्रोजेक्ट के संशोधित मानचित्र रेरा पोर्टल पर अपडेट करने (updation of revised approved maps) के आवेदनों पर बतौर प्रोसेसिंग फीस (Processing Fee) देय पंजीकरण शुल्क की 50% राशि के अतिरिक्त,

इस आदेश के जारी होने की तिथि से, पंजीकरण शुल्क की 50% राशि बतौर स्टैण्डर्ड फीस देय होगी।

5. किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का कोई भाग विलोपित (delete) करने या उसे एक से अधिक प्रोजेक्टस् में विभाजित (divide) करने अथवा एक से अधिक रजिस्टर्ड प्रोजेक्टस् को एक प्रोजेक्ट में समाहित (merge) करने के आवेदनों पर ऊपर पैरा सं. 4 में वर्णितानुसार, संशोधित मानचित्र के मामलों में लागू प्रोसेसिंग फीस व स्टैण्डर्ड फीस देय होगी।

6. प्रमोटर द्वारा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को रिवोक किये जाने (Revocation of Registration) बाबत् प्रस्तुत आवेदनों पर, इस आदेश के जारी होने की तिथि से, पंजीकरण शुल्क की 50% राशि बतौर प्रोसेसिंग फीस एवं पंजीकरण शुल्क की 50% राशि बतौर स्टैण्डर्ड फीस देय होगी।

ऊपर वर्णित पैरा सं. 2 के प्रावधान दिनांक 01.01.2020 से लागू माने जायेंगे। पैरा संख्या 1 व 3 के प्रावधान दिनांक 01.09.2020 से तथा पैरा संख्या 4 से 6 के प्रावधान इस आदेश के जारी होने की तिथि से लागू होंगे। जिन प्रकरणों में किसी आवेदन हेतु तत्समय देय समस्त फीस इन तिथियों से पूर्व जमा कराई जा चुकी है या जमा कराई जाती है तो उन पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

ऑथोरिटी द्वारा, Registration of projects के अलावा, अब निम्न अन्य कार्यों के लिए भी ऑनलाईन सेवाएं (Online Services) प्रारम्भ कर दी गई हैं :–

(1) Extension of registration of project
(2) Updation of revised approved maps
(3) Change of RERA Accounts with Banks
(4) Updation of Encumbrances

अतः अब इन कार्यों के लिए कागज़ पर आवेदन (paper applications) स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।

यह आदेश ऑथोरिटी के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(रमेश चंद्र शर्मा)
रजिस्ट्रार

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
2. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
3. अध्यक्ष, CREDAI, राजस्थान, जयपुर।
4. अध्यक्ष, TODAR, राजस्थान, जयपुर।
5. अध्यक्ष, RAHDA, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, CREDAI, NCR भिवाड़ी नीमराना, भिवाड़ी, राजस्थान।
7. वाइस चैयरमैन, RAJREDCO, जयपुर।
8. अध्यक्ष, रेरा एजूकेशनल एवं रिर्सोसेज फेडरेशन, जयपुर।
9. चैयरमैन, रेरा अवेयरनेस कमेटी, आईसीएआई, जयपुर ब्रांच, जयपुर।
10. चैयरमैन, रेरा कमेटी, टैक्स कन्स्लटेन्टस् एसोसिएशन, जयपुर।
11. चीफ एडिटर, रेरा टाईम्स।
12. समस्त अधिकारी, राजस्थान रेरा।
13. रेरा वेबपोर्टल।
14. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार